



प्रीपेड भुगतान साधन

प्रलिस के लिये:

प्रीपेड भुगतान साधन/प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट, भारतीय रज़िर्व बैंक, DICGC, प्रेषण, इश्योरेंस फंड, रेगुलेटेड एंटीज़

मेन्स के लिये:

प्रीपेड भुगतान उपकरणों के लिये DICGC का कवरेज

चर्चा में क्यों?

RBI (भारतीय रज़िर्व बैंक) वनियमिति संस्थाओं के लिये ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने वाली एक समिति **नेधोखाधड़ी और अनधिकृत लेन-देन से सुरक्षा प्रदान करने के लिये जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नगिम** (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation- DICGC) को **प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट** (PPI) तक वसितारति करने की सफ़ारिश की है।

- इस समिति ने सफ़ारिश की है कि **RBI** को **बैंक PPI** और **गैर-बैंक PPI** सहित PPI क्षेत्र में DICGC कवर का वसितार करने की संभावना के बारे में पता लगाना चाहिये।
- **RBI** को **ग्राहक सेवा में सुधार करने और समग्र ग्राहक सुरक्षा प्रयासों को मज़बूत करने के लिये** वनियमिति संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये।

प्रीपेड भुगतान साधन:

परचिय:

- ये वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करने वाले साधन हैं, ये वित्तीय सेवाओं का संचालन करते हैं और **संग्रहीत धन पर प्रेषण सुविधाएँ सक्षम करते हैं।**
- PPI को कार्ड या वॉलेट के रूप में जारी किया जा सकता है।
- **PPI दो प्रकार के होते हैं:**
 - छोटे PPI और पूर्ण-KYC (अपने ग्राहक को जानें) PPI। इसके अलावा छोटे PPI को 10,000 रुपए तक के PPI (कैश लोडिंग सुविधा के साथ) तथा 10,000 रुपए तक के PPI (बिना कैश लोडिंग सुविधा के) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - PPI को नकद, बैंक खाते से **डेबिट या क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा लोड/रीलोड किया जा सकता है।**
 - **PPI की कैश लोडिंग प्रतिमाह 50,000 रुपए तक सीमित है, जो PPI की समग्र सीमा के अधीन है।**

जारी करना/नरिगमन:

- PPI को **RBI** से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद **बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है।**
- नवंबर 2022 तक 58 से अधिक बैंकों को प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने और संचालित करने की अनुमति दी गई है।
- **मई 2023 तक 33 गैर-बैंक PPI जारीकर्त्ता हैं।**

DICGC:

परचिय:

- DICGC, **RBI** की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और जमा बीमा सुविधा प्रदान करती है।
 - जमा बीमा प्रणाली वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में विशेष रूप से छोटे जमाकर्त्ताओं को बैंक की वफ़िलता की स्थिति में उनकी जमा राशिकी सुरक्षा का आश्वासन देकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- DICGC द्वारा वसितारति जमा बीमा में स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (LAB), भुगतान बैंक (PB), लघु वित्त बैंक (SFB), **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)** और **सहकारी बैंक** सहित वे सभी वाणज्यिक बैंक शामिल हैं, जिन्हें **RBI** द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

कवरेज:

- DICGC अर्जति ब्याज सहति बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जैसी सभी जमाओं का बीमा करता है।
- बैंक में प्रत्येक **जमाकर्त्ता का बैंक के परसिमापन या वफिलता की तथि** के अनुसार मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिये अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कथिा जाता है।
 - **DICGC द्वारा प्रदान कथिा गया पहले का बीमा कवर 1 लाख** रुपए था। हालाँकि बीमाकृत बैंकों में जमाकर्त्ताओं के लिये बीमा कवर की सीमा 2020 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई थी।
- **DICGC कवर नहीं करता है:**
 - वदिशी सरकारों की जमाराशि।
 - केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ।
 - अंतर-बैंक जमाराशि।
 - राज्य सहकारी बैंकों में राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ।
 - भारत के बाहर प्राप्त किसी भी जमा के कारण कोई भी राशि।
 - कोई भी राशि जिससे RBI के पूर्व अनुमोदन से नगिम द्वारा वशिष रूप से छूट दी गई है।
- **कोष:**
 - नगिम नमिनलखिति नधियाँ का रखरखाव करता है:
 - **जमा बीमा कोष**
 - **क्रेडिटि गारंटी फंड**
 - **सामान्य कोष**
 - पहले दो को क्रमशः बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वतितपोषति कथिा जाता है तथा संबंधति दावों के नपिटान के लिये भी उपयोग कथिा जाता है।
 - सामान्य कोष का उपयोग नगिम की स्थापना और प्रशासनकि खर्चों को पूरा करने हेतु कथिा जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prepaid-payment-instrument>

